NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 158 / NCRES / 20

दिनांक 16.8.2020

डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :— दिनांक 6.8.2020 को NFIR के पदाधिकारियों की विडियों कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से बैठक।

महोदय,

दिनांक 6.8.2020 को NFIR के पदाधिकारियों के बैठक में आर. पी. सिंह, संयुक्त महासचिव, द्वारा निम्न के सम्बन्ध में आपको अवगत कराया गया था।

1. स्टेशन मास्टर कैटेगिरी के भांति Sr. PWS से JE/P.way में मर्ज हुए कैडर को तृतीय MACP GP-5400 (L-9) का लाभ दिलाया जाना।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पूर्व के वेतन आयोग में इन्जीनियरिंग विभाग में PWM/PWS/Sr. PWS एवं JE/P.Way का कैडर निम्न अनुसार था।

Pay Commission	Designation	Pay Grade	Designation	Pay Grade
4th CPC	PWM	1400-2300	PWI-III	1400-2300
5th CPC (V cpc ने PWM का नाम बदलकर PWS कर दिया)	PWS	4500-7000 + 100	PWI - III	5000-8000
RBE 45/2007 Dated- 22/3/2007 के अनुसार PWS का नाम बदल कर Sr. PWS किया गया।	Sr. PWS	5000-8000		
6th CPC - w.e.f. 1.1.2006 (सरकार द्वारा वर्ष 2008 में घोषणा किया गया)	Sr. PWS	GP-4200 Merged in JE (Pway) w.e.f. 3.7.2013 RBE 64/2013	JE/P.way	GP-4200

यह भी अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में पुराने PWS जिनको JE/P.way में मर्ज किया गया, उन्हे तृतीय MACP के GP-5400 का लाभ नही दिया जा रहा है जबकि सीधी भर्ती से आये JE (P.Way) को GP-5400 तक का लाभ दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि NFIR के प्रयास से VII CPC द्वारा ASM का Entry Grade Pay GP-2800 को अपग्रेड कर GP-4200 किया गया और NFIR के ही दबाव पर रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर कैडर को तृतीय MACP के रूप में GP-5400 का लाभ देने के लिये दिनांक 25.2.2020 को RBE No. 26/2020 जारी किया।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्टेशन मास्टर कैडर की भांति PWM/PWS/Sr. PWS कैडर, जिन्हें JE/P.Way कैडर में मर्ज किया गया, उन्हें भी III MACP के रूप में GP-5400 का लाभ दिलाने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

2. मार्च 2009 एवं 31.05.2012 के मध्य रिटायर हुए छूटे रेल कर्मचारियों को RELHS-97 स्कीम ज्वाइन कराने हेतु।

यह भी अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 31.05.2012 के अनुसार मार्च 2009 के पूर्व रिटायर हुये रेल कर्मचारियों के लिये RELHS-97 स्कीम हमेशा के लिये खोल दिया तथा 31.05.2012 के बाद रिटायर हुये लोगो के लिये इन स्कीम को अनिवार्य कर दिया और मार्च 2009 से 31.05.2012 के मध्य रिटायर हुये लोगो के लिये इस स्कीम को एक वर्ष के लिये खोल दिया गया।

यह भी अवगत कराना है कि मार्च 2009 से 31.05.2012 के मध्य नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में रिटायर हुये सैकड़ों ऐसे लोग है जो अज्ञानतावश एक वर्ष की समय सीमा में स्कीम नही ज्वाइन कर पाये थे लेकिन अब स्कीम को ज्वाइन करना चाहते है परन्तु उन्हे ज्वाइन नही करने दिया जा रहा है। NCRES ने इस मुद्दे को महाप्रबन्धक स्तर पर पी.एन.एम. बैठक में उठाया और अभी भी मद सं. 17/2018 पिछले 2 वर्षो से लम्बित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के साथ–साथ पूरे भारतीय रेल के रिटायर्ड एवं कार्यरत रेलवे कर्मचारियों में से मात्र मार्च 2009 से 31.5.2012 के बीच रिटायर हुये कुछ लोग जो अज्ञानतावश RELHS-97 स्कीम नही ज्वाइन कर पाये, उन्हे एवं उनके परिवार को कोरोना काल में मेडिकल संरक्षण हेतु RELHS-97 स्कीम ज्वाइन करने हेतु रेलवे बोर्ड से उचित आदेश कराने की कृपा करें।

3. श्री ए. के. पोद्दार, शाखा सचिव एवं FSO/ प्रयागराज के पद को संवेदनशील (Sensitive) मानते हुये श्री पोद्दार का आवधिक (Periodical) स्थानान्तरण प्रयागराज से झांसी कर दिया गया है, जो पूर्णतया गलत है। इसके सम्बन्ध में NCRES ने दिनांक 21.5.2020 को GM को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि स्थानान्तरण रद्द किया जाय लेकिन अभी तक स्थानान्तरण रद्द नही हुआ है। महाप्रबंधक को लिखे दिनांक 21.5.2020 के पत्र की प्रति NFIR के पास उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

अनुरोध है कि निम्न लिखित तथ्यो पर ध्यान देने का कष्ट करे।

- ज्ञात हुआ है कि प्रधान कार्यालय के उप मुख्य चिकित्सा निदेशक ने CMS/Agra को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 23.4.2015 (संलग्न) में मनमाने ढ़ंग से "खाद्य सुरक्षा अधिकारी" के पद को "संवेदनशील पद" घोषित कर दिया था और उसी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद को आज भी संवेदनशील माना जा रहा है।

- NCRES ने श्री ए. के. पोद्दार, शाखा सचिव के ट्रान्सफर पर PCMD से कहा कि रेलवे बोर्ड के Master Circular No. 24 के 4.3(ii) F के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद Sensitive नही हैं, तो PCMD ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद संवेदनशील है, और जब NCRES ने इससे सम्बन्धित कोई परिपत्र मांगा तो PCMD ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद **"संवेदनशील की तरह"** है। इससे प्रतीत होता है कि PCMD स्वयं भ्रमित है और अपने उप मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद को संवेदनशील घोषित करने के तथ्य को सही ठहराना चाहते है।

- NCRES को स्पष्ट करना है कि **रेलवे बोर्ड ने अपने किसी भी परिपत्र द्वारा किसी भी विभाग के असंवेदनशील (Non Sensitive) पद को संवेदनशील (Sensitive) की तरह परिभाषित नही किया है।** यह भी अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के उप मुख्य चिकित्सा निदेशक, द्वारा मनमाने ढ़ंग से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद को संवेदनशील घोषित करना एक गम्भीर विषय है और PCMD द्वारा समर्थन करना उससे भी गम्भीर विषय है, इसलिये उप मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा "खाद्य सुरक्षा अधिकारी" के पद को मनमाने ढ़ंग से संवेदनशील (Sensitive) घोषित करने के कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध महाप्रबंधक से किया गया था लेकिन जांच नही हुई।

NCRES का स्पष्ट मत है कि FSO/PRYJ के पद को Sensitive मानते हुये श्री ए. के. पोद्दार का किया गया स्थानान्तरण पूर्णतया गलत है, इसलिये स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया जाना चाहिये।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

संख्या 4-मेड/ग्वा.एवं स्व./खाद्य सुरक्षा

दिनांक-23/04/2015

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
इलाहाबाद /झाँसी /आगरा

विषय-खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ -रेलवे बोर्ड का पत्र सं 2014/H-1/9/4 दिनॉक-24/03/2015

***

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार प्रत्येक मंडल में एक-एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अधीन रहेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद संवेदनशील पद है और उसका स्थानांतरण उत्तर मध्य रेलवे में कही भी किया जा सकता है। जो भी स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य करने को इच्छुक हो उनकी सहमति लेकर इस कार्यालय को जल्द से जल्द भेजने की कृपा करे। वर्तमान में श्री ए.के. पोददार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है एवं श्री आर.के. सैनी का FSSAI के द्वारा नोटीफिकेशन हो चुका है एवं वह ट्रेनिंग भी ले चुके है।

23/4/15

(डा प्रकाश मुरमु)
उप मुख्य चिकित्सा निदेशक
उ.म.रे. इलाहाबाद